

अहमदगंज जो इस  
हुक्म को तामील  
में जारी हुए

अमरसिंह बनाम राजस्थान सरकार  
अपील संख्या 54/2019

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर**

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

**अपील संख्या 54/2019**

अमरसिंह उर्फ हप्पू पुत्र भगवत उम्र 45 वर्ष जाति गूर्जर निवासी नगला बंजारा बस्त्रावली  
तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलान्त

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

.....रैस्पोंडेन्ट


अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश  
तहसीलदार बयाना दिनांक 20.06.2019 पत्रावली संख्या 23/2019  
उनवानी सरकार बनाम अमर सिंह उर्फ हप्पू अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व  
अधिनियम।

उपस्थित :- 1. श्री चौबसिंह, अभिभाषक अपीलान्त  
2. राजकीय अभिभाषक

**निर्णय**

दिनांक : 24.02.2021


अपीलान्त ने यह अपील विरुद्ध रैस्पोंडेन्ट व खिलाफ आदेश तहसीलदार बयाना  
दिनांक 20.06.2019 पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 91 भू  
राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्त को आराजी खसरा नम्बर 618 रकवा 0.40 है0 में  
से 0.05 है0 पर अतिक्रमी मानते हुये बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश  
के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
भरतपुर (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पोंड एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्त ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 618 रकवा 0.40 है० की किस्म भूमि बंजड चारागाह राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। यहां कभी भी चारागाह भूमि नहीं रही है और न ही अपीलान्त ने दिनांक 11.06.2019 या इससे पूर्व अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्त का पक्का मकान पूर्वजों के समय से बना हुआ है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्त के विरुद्ध वर्ष 2001 में 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी जिसमें माननीय न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर के यहां अपील की गई थी उन्होने धारा 91 की कार्यवाही को ड्रॉप करते हुये भूमि का आबादी विस्तार करने के आदेश दिये थे। ग्राम पंचायत पालीडांग ने ग्राम पंचायत की सभा में दिनांक 14.04.2013 को उक्त भूमि के लिये प्रस्ताव पारित किया कि चारागाह भूमि के स्थान पर आबादी में परिवर्तन करने के लिये ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि उक्त भूमि में बने हुये मकानों में विजली के कनेक्शन राज्य सरकार द्वारा दिये गये है जिसके बिल का भुगतान अपीलान्त बहुत समय से करता चला आ रहा है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि तहसीलदार बयाना दिनांक 22.02.2001 को इस भूमि को आबादी हेतु अपीलान्त के पक्ष में नियमन करने की सिफारिश की गई थी। विवादित भूमि पर राज्य सरकार द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाया गया है। अन्त में वकील अपीलान्त ने अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार बयाना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2019 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्त के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत


  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
भरतपुर (राज.)

अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2019 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का विवादित आराजी खसरा नम्बर 618 रकवा 0.40 है0 वाकै ग्राम बरत्रावली किस्म चारागाह में से 0.05 है0 पर पक्का मकान व बाडा का निर्माण कर अतिक्रमण किया जाना साबित होता है। तहत न्यायालय की पत्रावली में न्यायालय तहसीलदार बयाना के निर्णय दिनांक 15.02.2001 की छायाप्रति उपलब्ध है जिसमें न्यायालय जिला कलक्टर के निर्णय अनुसार आवादी के प्रस्तावों का उल्लेख है। प्रथम तो यह प्रति छायाप्रति होने के कारण रिकार्ड पर लिये जाने योग्य नहीं है तथापि इसे रिकार्ड पर मान भी लिया जाये तो भी जब तक विवादित आराजी का नियमन न हो जावे तब तक उस पर किसी भी प्रकार का कब्जा/अतिक्रमण की श्रेणी में है। अतः ऐसी स्थिति में तहत न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.06.2019 में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं होने के कारण कोई हस्तक्षेप नहीं करना उचित समझते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिजी के रहती है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है साथ ही तहसीलदार बयाना को यह यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि यदि अतिक्रमण आवादी विस्तार किये जाने योग्य तो उसके संदर्भ में पृथक से कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार बयाना की पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को सुनाया गया।

  
(बीना महावर)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
भरतपुर (राज.)